ई-ट्यूटोरियल

1. औचित्य रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी
2. औचित्य रिपोर्ट डाउनलोड करने के संक्षिप्त चरण
3. औचित्य रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए सचित्र गाइड
4. औचित्य रिपोर्ट एक्सेल जनरेशन यूटिलिटी डाउनलोड करने के चरण

कॉपीराइट © 2016 आयकर विभाग

1. औचित्य रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

- **औचित्य रिपोर्ट** में आयकर विभाग (आईटीडी) द्वारा पहचानी गई चूक / त्रुटियों के बारे में विस्तृत जानकारी है, जो किसी विशेष तिमाही, वित्तीय वर्ष और फॉर्म प्रकार के लिए कटौतिकर्ता द्वारा दाखिल मूल / संशोधन विवरण को संसाधित होने पर दी जाती है। यह कटौतिकर्ता को संव्यवहार (लेन-देन) स्तर पर टीडीएस विवरण में हुई त्रुटि / कमी / चूक की पहचान करने और उन्हें ठीक करने में मदद करता है।

- ट्रेसेज़ वेबसाइट पर औचित्य रिपोर्ट वित्तीय वर्ष **2007-08** से उपलब्ध है

- जब आवेदन की स्थिति उपलब्ध रूप में दिखाई दे तो कटौतीकर्ता **HTTP डाउनलोड का उपयोग करके औचित्य रिपोर्ट डाउनलोड कर** सकते हैं।

- जब **टीडीएस विवरण डिफ़ॉल्ट रूप से** संसाधित होता है **तब ही औचित्य रिपोर्ट उपलब्ध** होगी।

- डाउनलोड की गई फ़ाइल ज़िप प्रारूप में होगी, इसे पासवर्ड के साथ निकालना होगा।

- औचित्य रिपोर्ट खोलने का पासवर्ड- **JR_टैन_फॉर्म प्रकार_तिमाही_वित्तीय** यानी **JR_AAAA11111A_24Q_Q3_2010-11** है।

- कटौतीकर्ता को डाउनलोड की गई **जस्टिफिकेशन रिपोर्ट फ़ाइल को एक्सेल प्रारूप में बदलने के लिए नवीनतम यूटिलिटी(2.5) डाउनलोड करने की आवश्यकता है**।

- यदि **टीडीएस विवरण में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है** तब **औचित्य रिपोर्ट डाउनलोड नहीं** होगा ।

कॉपीराइट © 2016 आयकर विभाग

2. औचित्य रिपोर्ट डाउनलोड करने के संक्षिप्त चरण

औचित्य रिपोर्ट अनुरोध को दर्ज़ करने से पहले कृपया **"स्टेटमेंट्स / पेमेंट्स"** टैब के अंतर्गत **"स्टेटमेंट स्टेटस"** देखें। **औचित्य रिपोर्ट डाउनलोड** करने के लिए अनुरोध **केवल तभी दर्ज़ किया जा सकता हैं** जब टीडीएस विवरण की स्थिति **"डिफ़ॉल्ट के साथ संसाधित"** हो।

- **चरण 1: ट्रेसेज़** वेबसाइट (www.tdscpc.gov.in) पर जाएँ। अपनी **"उपयोगकर्ता आईडी"**, **"पासवर्ड"**, **"कटौतीकर्ता टैन"** और **"सत्यापन कोड"** दर्ज़ करके ट्रेसेज़ वेबसाइट पर लॉगिन करें।
- **चरण** 2: **"डिफॉल्ट"** टैब के अंतर्गत उपलब्ध **"औचित्य रिपोर्ट डाउनलोड के लिए आवेदन"** विकल्प पर क्लिक करें।**वित्तीय वर्ष**, **प्रपत्र प्रकार** और **तिमाही का चयन करें** जिसके लिए औचित्य रिपोर्ट की आवश्यकता है।
- **चरण 3:** केवाईसी के लिए तत्संगत टीडीएस विवरण दर्ज़ करें।
- **चरण 4:** केवाईसी विवरणों को मान्य करने के बाद, एक सत्यापन कोड उत्पन्न किया जाएगा, जो उसी वित्तीय वर्ष, फॉर्म प्रकार और तिमाही के लिए एक ही कैलेंडर दिन के लिए मान्य रहेगा।
- **चरण 5:** आवेदन के सफलतापूर्वक दर्ज़ हो जाने के बाद एक विशिष्ट अनुरोध संख्या जारी की जाएगी।
- **चरण 6:** औचित्य रिपोर्ट "डाउनलोड" के अंतर्गत "अनुरोधित डाउनलोड" भाग में उपलब्ध होगी। कटौतीकर्ता **अ)** अनुरोध संख्या, **ब)** दिनांक या **स)** सभी देखें का उपयोग करके अनुरोधित औचित्य रिपोर्ट की जाँच कर सकते है।
- **अनुरोधित स्थिति का विवरण**
    - a) **प्रस्तुत (submitted):** सफलतापूर्वक आवेदन दर्ज़ , प्रसंस्करण में अनुरोध
    - b) **उपलब्ध (Available):** औचित्य रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध
    - c) **अनुपलब्ध (Not Available):** टीडीएस विवरण बिना किसी त्रुटि/ग़लती के संसाधित
    - d) **अस्वीकार (Disabled):** औचित्य रिपोर्ट की **दूसरी प्रति डाउनलोड करने** के लिए आवेदन दर्ज़ करने पर
    - e) **विफल (Failed):** उपयोगकर्ता को सीपीसी (टीडीएस) से संपर्क करने की सलाह दी जाती है
- **चरण 7:** जब आवेदन की स्थिति **'उपलब्ध'** हो ,कटौतीकर्ता **"HTTP डाउनलोड"** का उपयोग करके औचित्य रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं .

कॉपीराइट © 2016 आयकर विभाग

3. औचित्य रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए सचित्र गाइड

चरण 1: ट्रेसेज़ वेबसाइट (www.tdscpc.gov.in) पर जाएँ

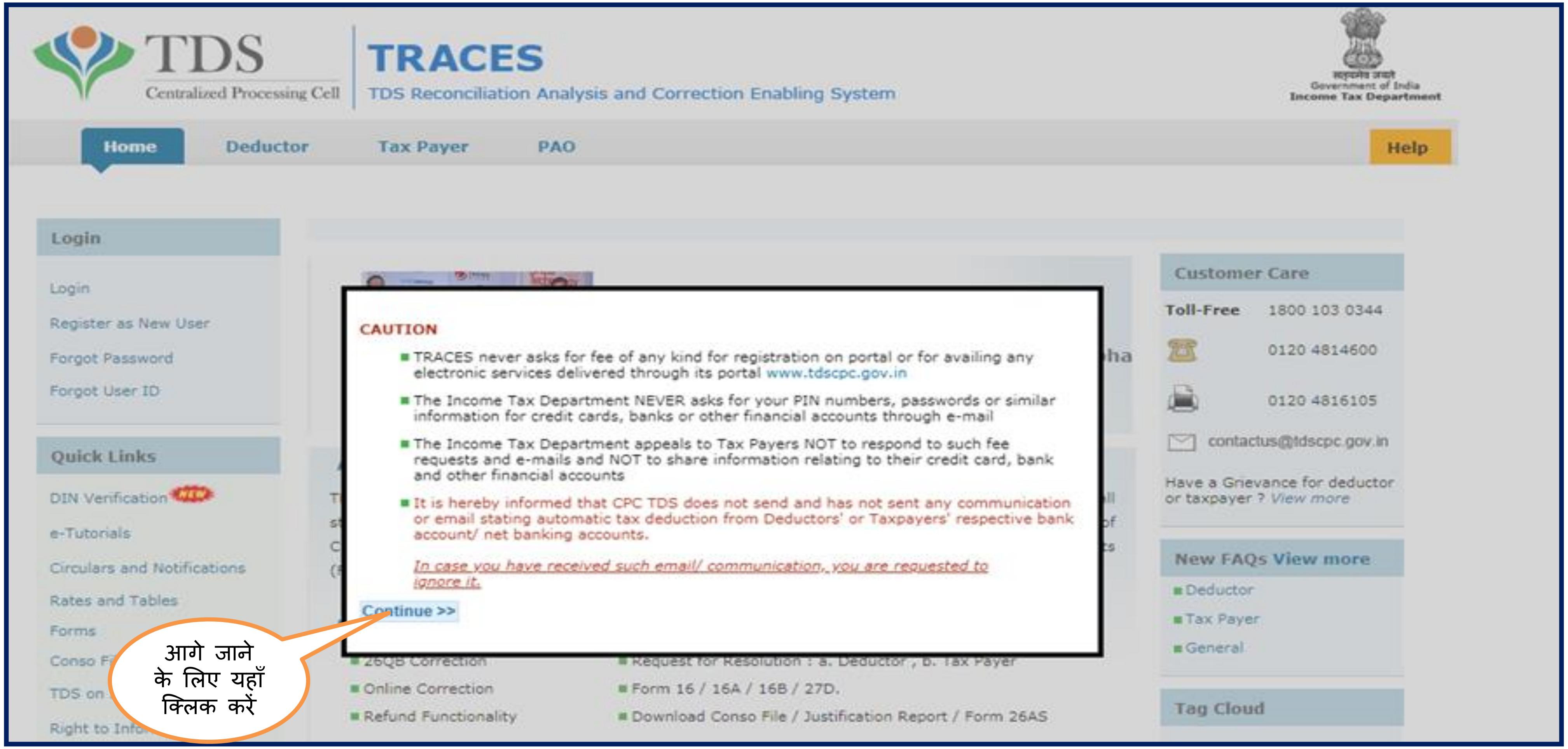

3. औचित्य रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए सचित्र गाइड

चरण 1 (जारी...): यूज़र आई डी, पासवर्ड एवम् कटौतिकर्ता टैन दर्ज़ कर के लॉगिन करें

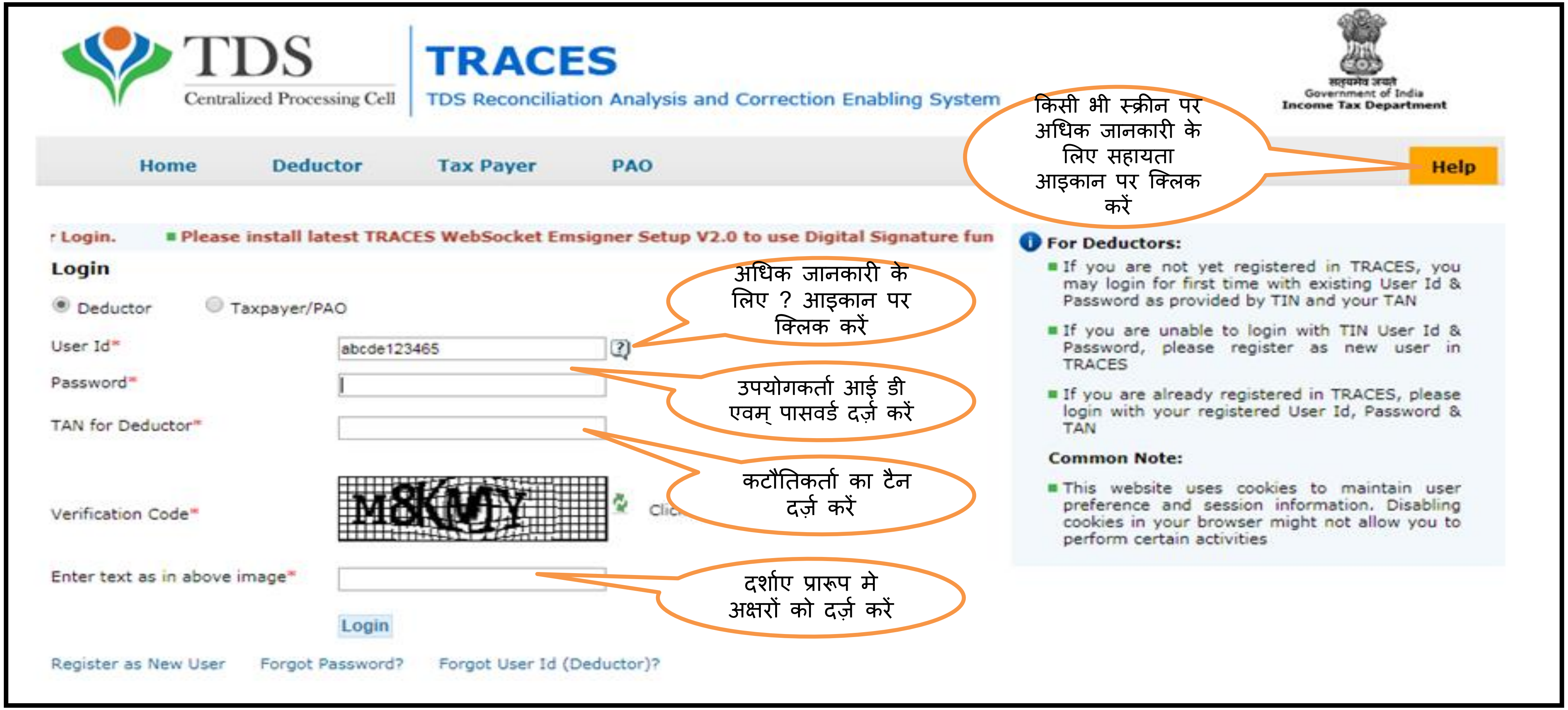

कॉपीराइट © 2016 आयकर विभाग

3. औचित्य रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए सचित्र गाइड

लॉगिन करने के बाद आरंभिक पृष्ठ

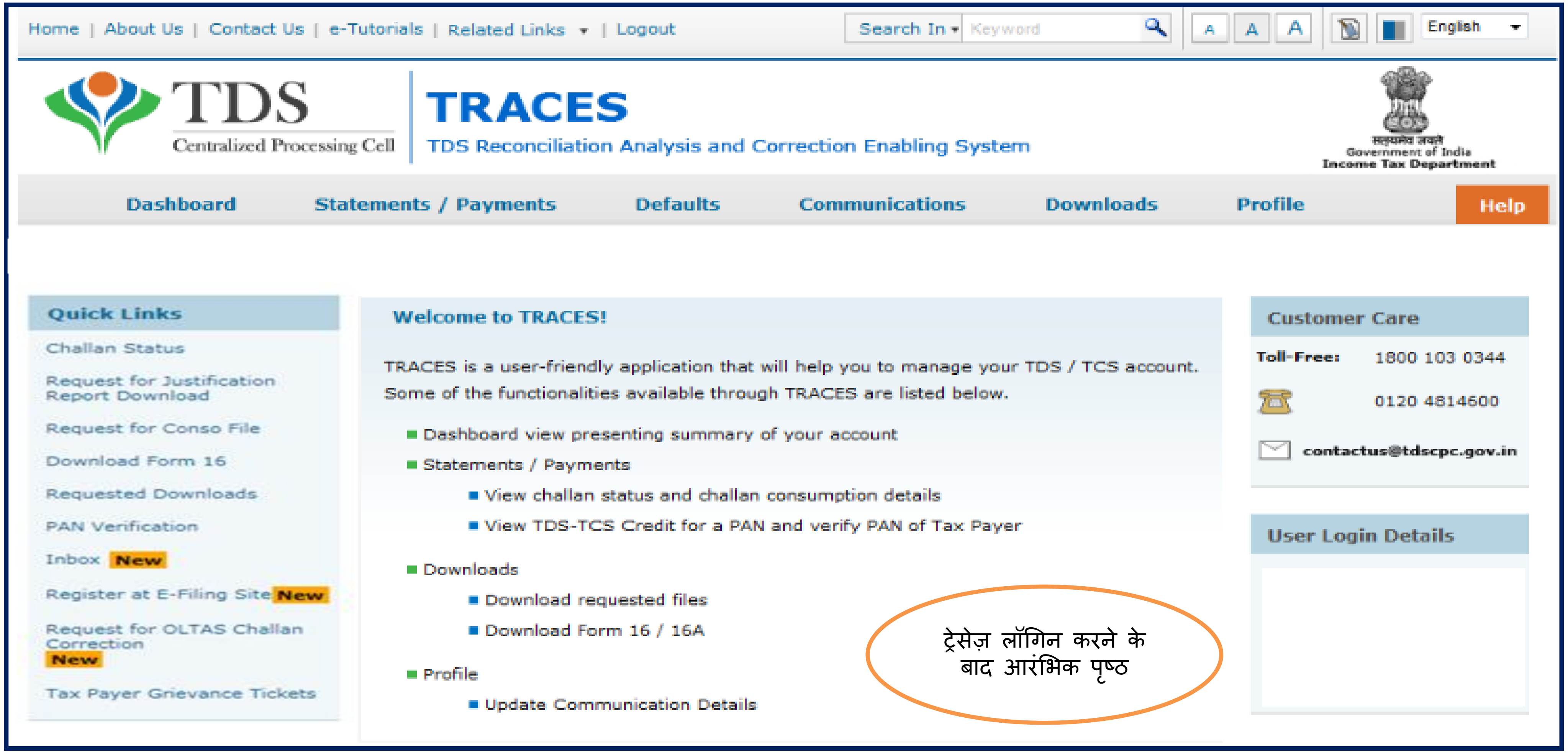

3. औचित्य रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए सचित्र गाइड

चरण 2: "डिफॉल्ट" टैब के अंतर्गत उपलब्ध "औचित्य रिपोर्ट के लिए अनुरोध" विकल्प पर क्लिक करें

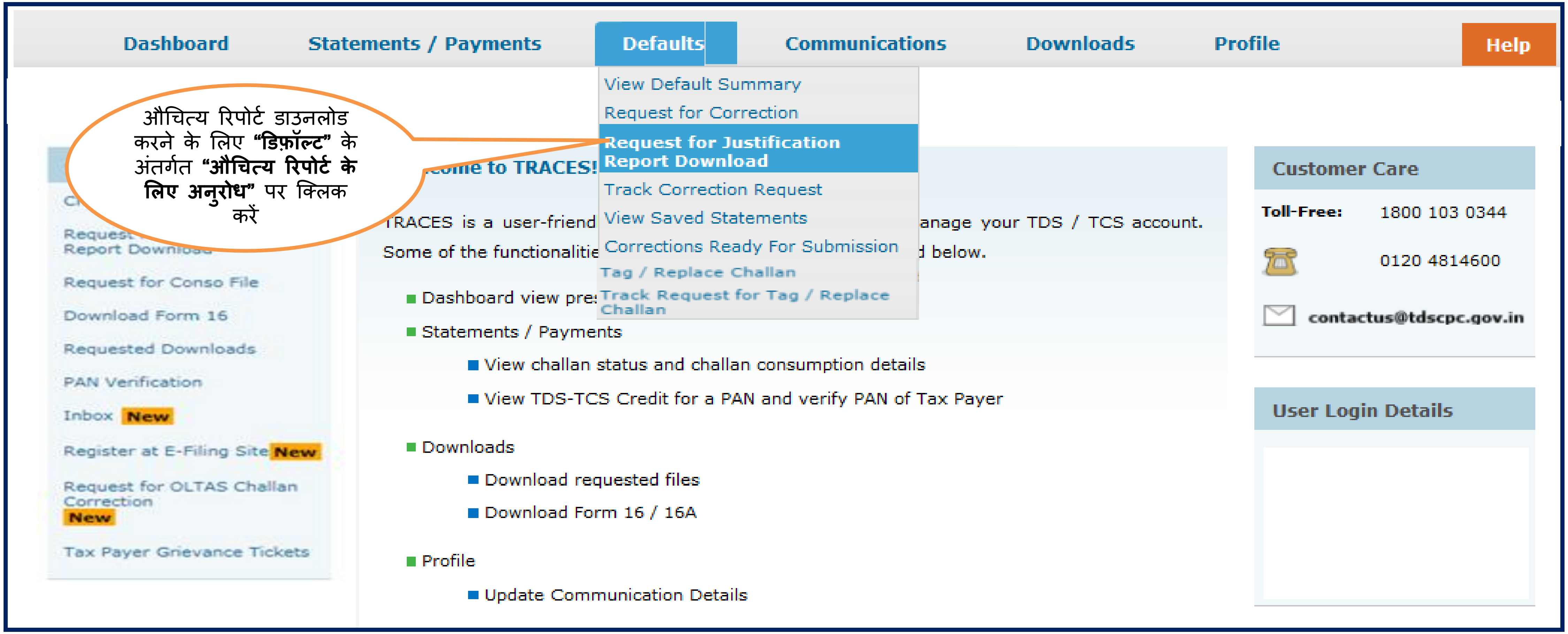

ध्यान दें : औचित्य रिपोर्ट को डाउनलोड करने के लिए अनुरोध तभी दर्ज़ कर सकते है जब कटौतीकर्ता द्वारा दाखिल टीडीएस विवरण किसी त्रुटि के साथ संशोधित हुई हो

कॉपीराइट © 2016 आयकर विभाग

3. औचित्य रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए सचित्र गाइड

चरण 2 (जारी..) जिस वित्तीय वर्ष,प्रपत्र प्रकार और तिमाही के लिए औचित्य रिपोर्ट की आवश्यकता है उसका विवरण दर्ज़ करें

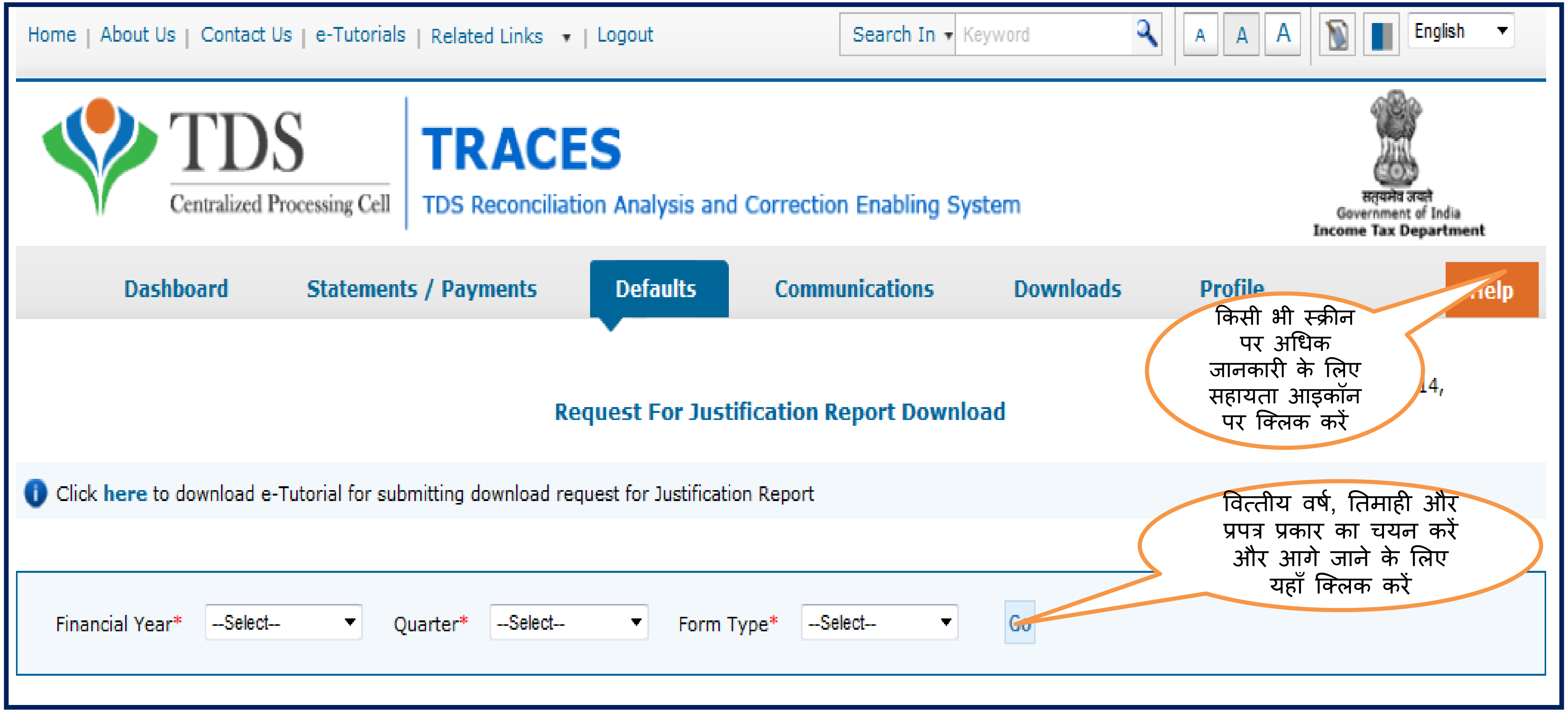

"गो" पर क्लिक करने के बाद सत्यापन स्क्रीन प्रदर्शित होगी

कॉपीराइट © 2016 आयकर विभाग

3. औचित्य रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए सचित्र गाइड

चरण 3: 'गो' बटन पर क्लिक करने के बाद केवाईसी सत्यापन स्क्रीन दिखाई देगी

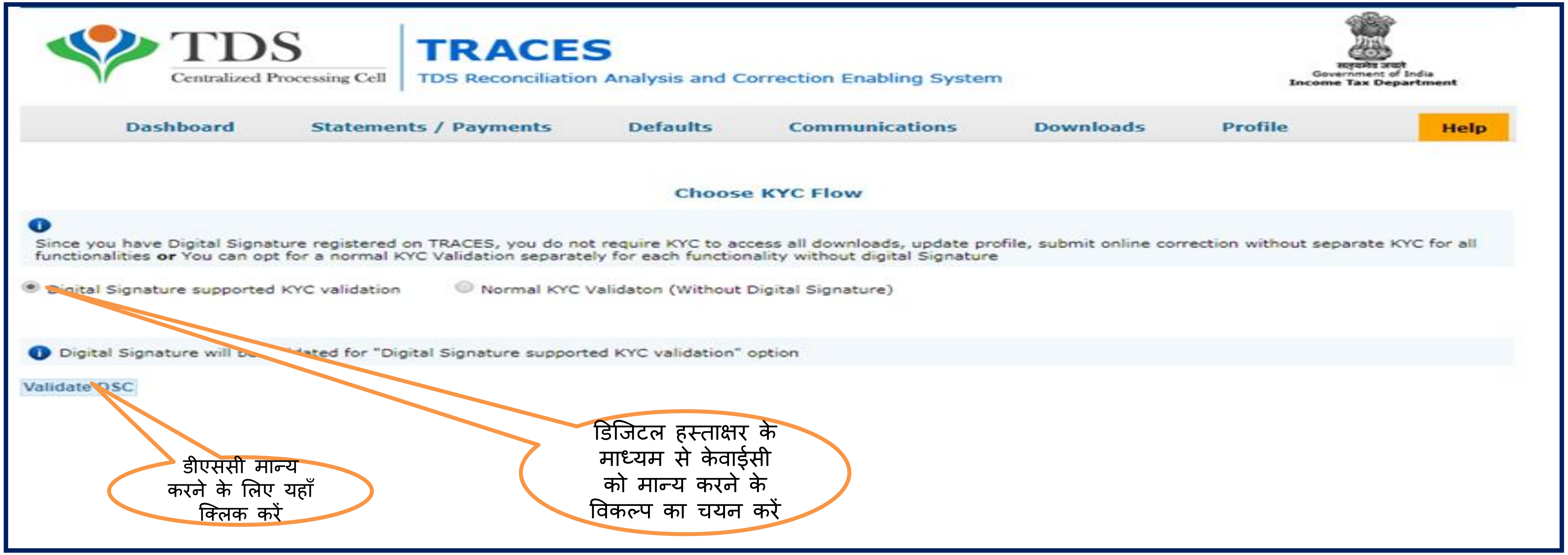

- डिजिटल हस्ताक्षर समर्थित केवाईसी सत्यापन स्क्रीन - केवल तभी दिखाई देगी जब डिजिटल हस्ताक्षर ट्रेसेज़ पर पंजीकृत हो। कटौतिकर्ता प्रोफाइल में अपने डिजिटल हस्ताक्षर को पंजीकृत / पुन:पंजीकृत कर सकते हैं..
- सामान्य केवाईसी सत्यापन (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना) - उपयोगकर्ता डिजिटल हस्ताक्षर के बिना प्रत्येक क्रिया के लिए हर बार अलग से सामान्य केवाईसी सत्यापन चुन सकता है।

ध्यान दें :- डीएससी टोकन के साथ डाटा पर हस्ताक्षर करते समय, डीएससी को मान्य करने के लिए पासवर्ड दर्ज करें।

कॉपीराइट © 2016 आयकर विभाग

3. औचित्य रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए सचित्र गाइड

चरण 3 (जारी..): डिजिटल हस्ताक्षर समर्थित केवाईसी सत्यापन

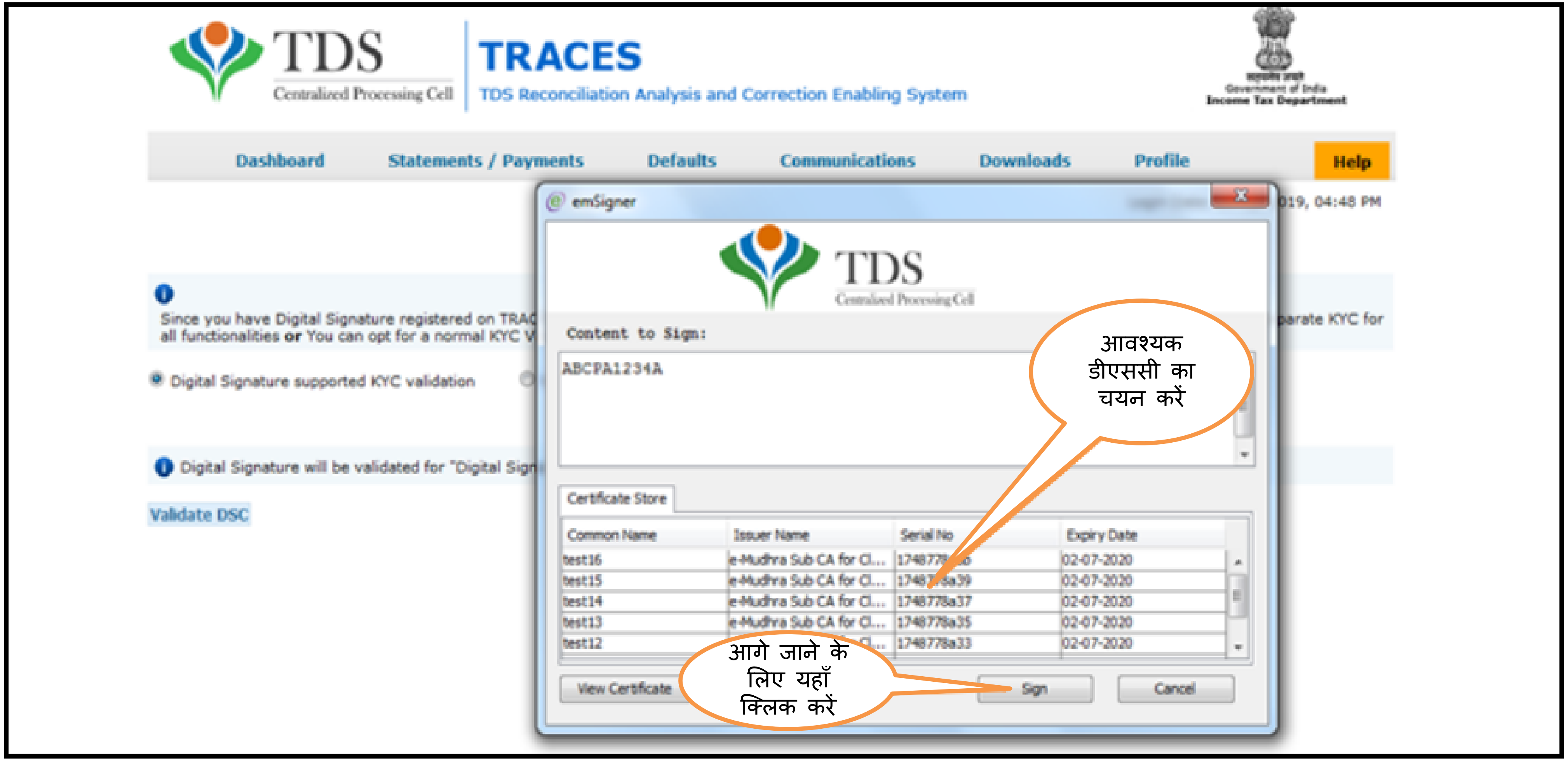

कॉपीराइट © 2016 आयकर विभाग

3. औचित्य रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए सचित्र गाइड

सामान्य केवाईसी के लिए लेख

अद्वितीय पैन और राशि संयोजन के उदाहरण :-..

परिस्थिति 1 :- यदि टीडीएस विवरण में एक ही पैन की 3 कटौती पंक्तियाँ हैं अर्थात् AAAAA0000N और इसके सम्मुख कटौती की राशियाँ 1000.00, 1000.00 और 2000.00 हैं, तो कटौतीकर्ता को विवरण इस तरह भरने की आवश्यकता है:

a) AAAAA0000N 1000.00
b) AAAAA0000N 2000.00

परिस्थिति 2 :- यदि टीडीएस विवरण में एक ही पैन की 4 कटौती पंक्तियाँ हैं अर्थात् AAAAA0000N और इसके सम्मुख कटौती की राशियाँ 1000.00, 1000.00,1500.00 और 2000.00 हैं, तो कटौतीकर्ता को विवरण इस तरह भरने की आवश्यकता है

a) AAAAA0000N 1000.00
b) AAAAA0000N 1500.00
c) AAAAA0000N 2000.00

ध्यान दें :- आगे के मार्गदर्शन के लिए कृपया ट्रेसेज़ पोर्टल पर उपलब्ध गाइड 1 और गाइड 2 देखें।

कॉपीराइट © 2016 आयकर विभाग

3. औचित्य रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए सचित्र गाइड

चरण 3 (जारी..): सामान्य केवाईसी सत्यापन

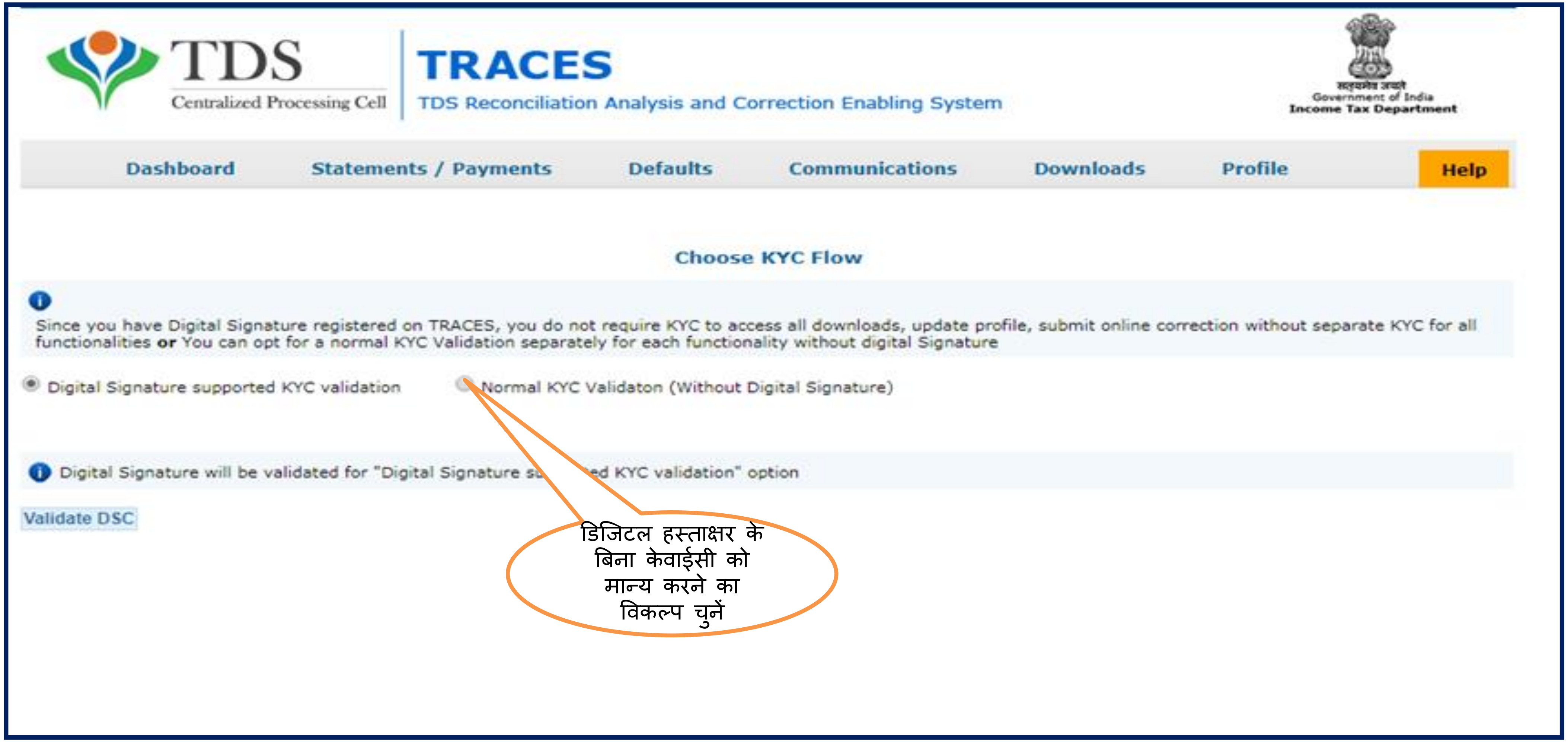

कॉपीराइट © 2016 आयकर विभाग

3. औचित्य रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए सचित्र गाइड

चरण 3 (जारी..): सामान्य केवाईसी सत्यापन

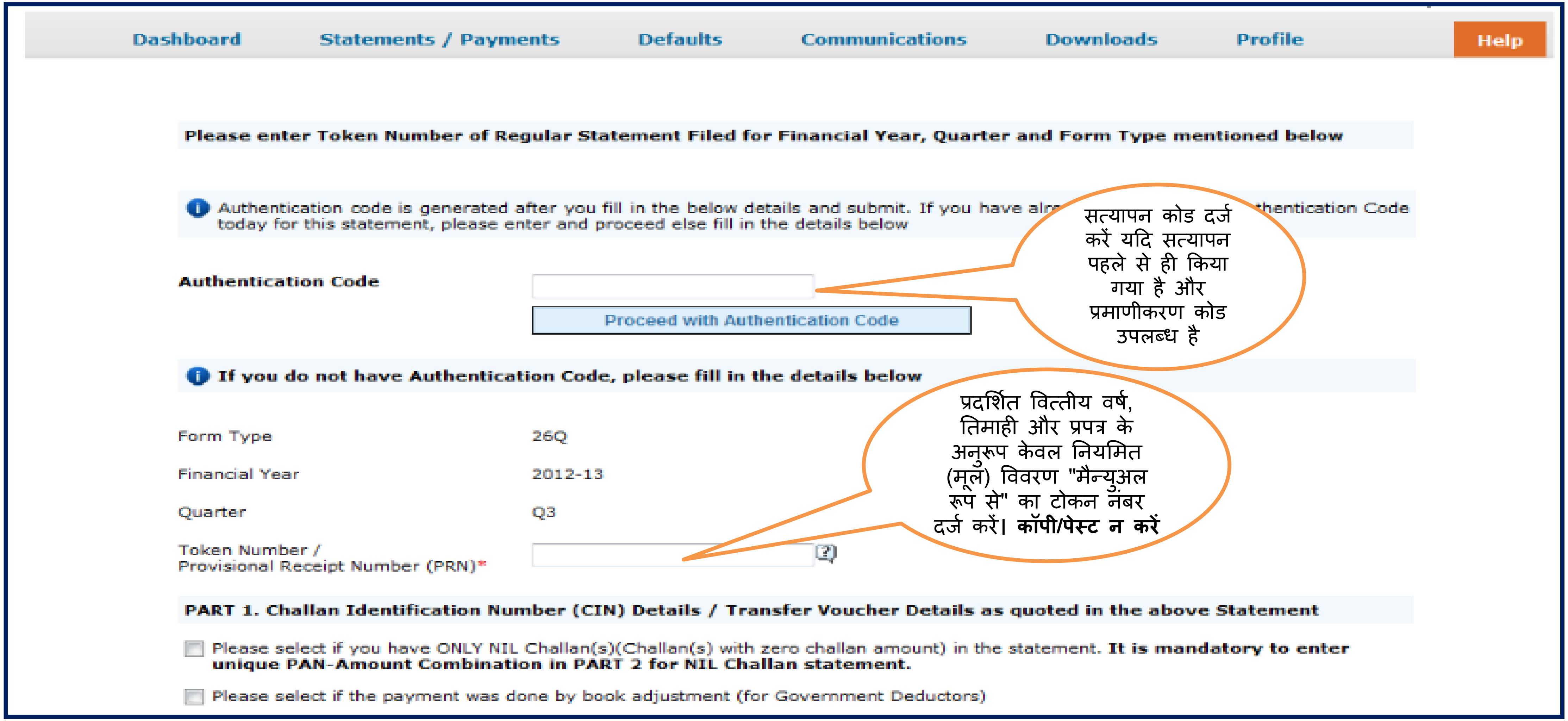

कॉपीराइट © 2016 आयकर विभाग

3. औचित्य रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए सचित्र गाइड

चरण 3 (जारी..): सामान्य केवाईसी सत्यापन

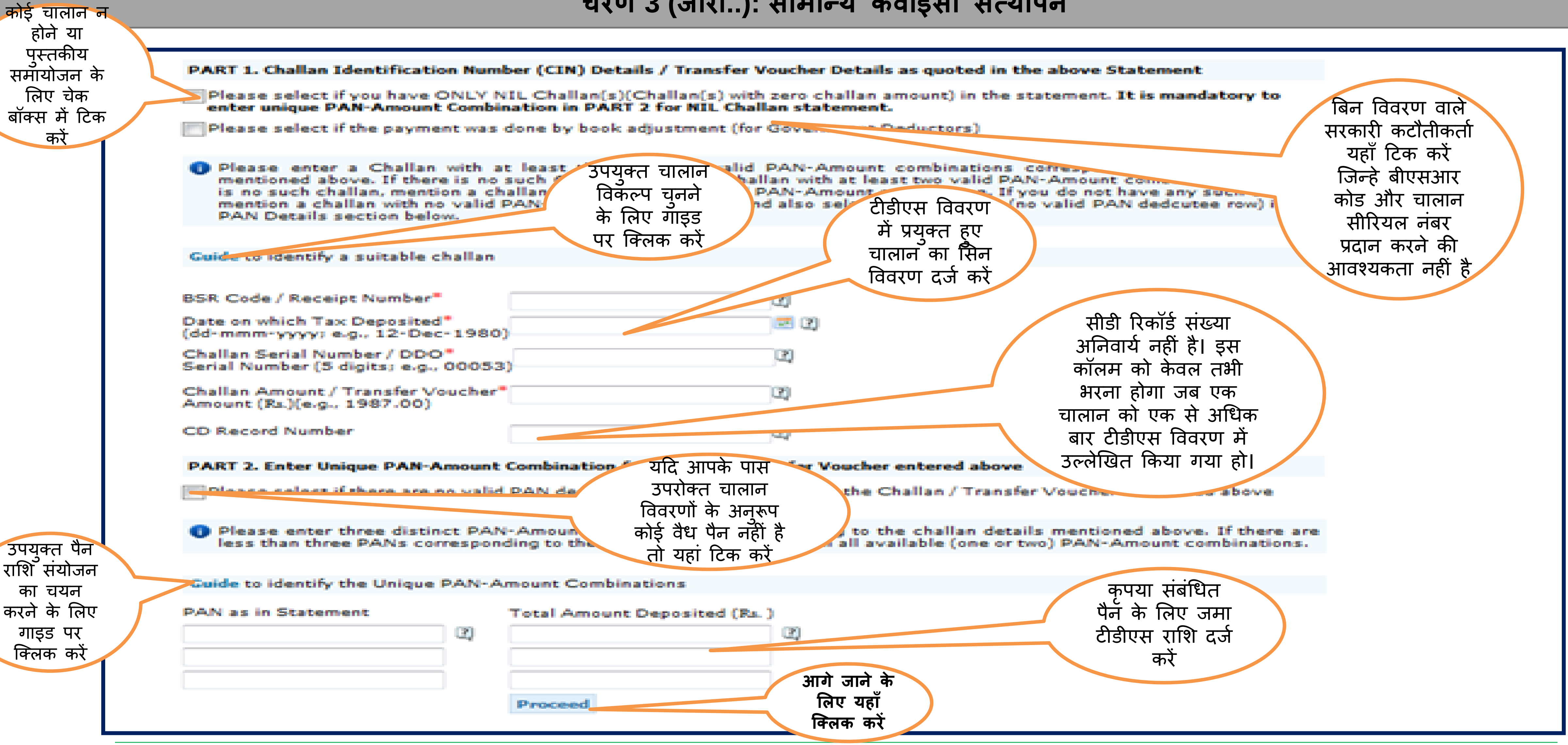

कॉपीराइट © 2016 आयकर विभाग

3. औचित्य रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए सचित्र गाइड

चरण 4: केवाईसी विवरणों को मान्य करने के बाद, उत्पन्न सत्यापन कोड , जो उसी वित्तीय वर्ष, फॉर्म प्रकार और तिमाही के लिए एक ही कैलेंडर दिन के लिए मान्य

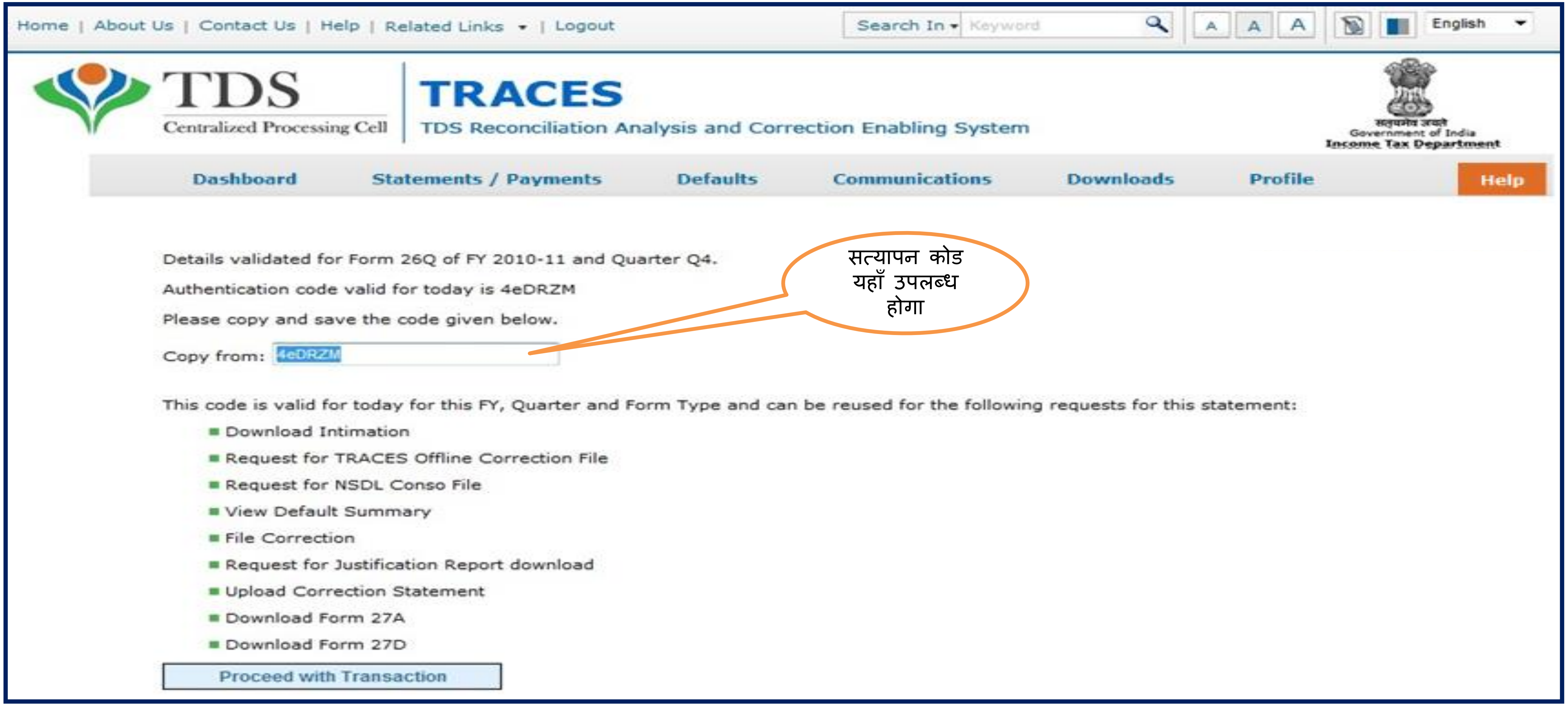

कॉपीराइट © 2016 आयकर विभाग

3. औचित्य रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए सचित्र गाइड

चरण 5: अनुरोध के सफलता पूर्वक दर्ज़ होने के बाद , उत्पन्न एक विशिष्ट अनुरोध संख्या

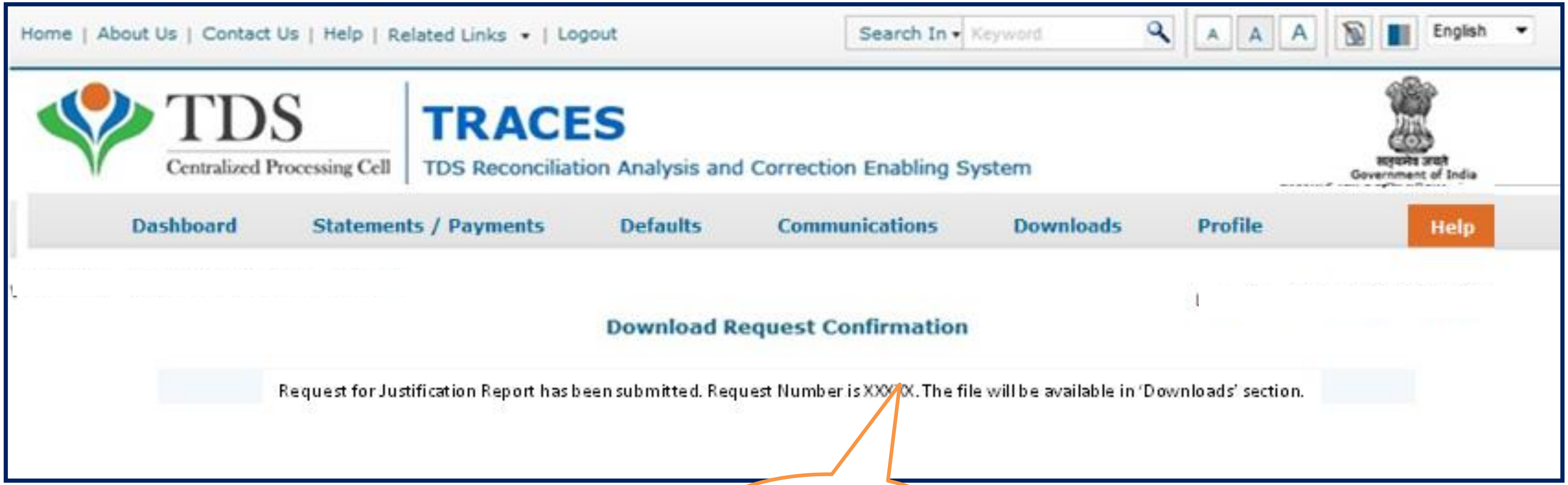

अनुरोध के सफलता पूर्वक दर्ज़ हो जाने के बाद , एक विशिष्ट अनुरोध संख्या उत्पन्न की जाएगी

कॉपीराइट © 2016 आयकर विभाग

3. औचित्य रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए सचित्र गाइड

चरण 6: “डाउनलोड” टैब के अंतर्गत “अनुरोधित डाउनलोड” टैब में ‘औचित्य रिपोर्ट’ की स्थिति

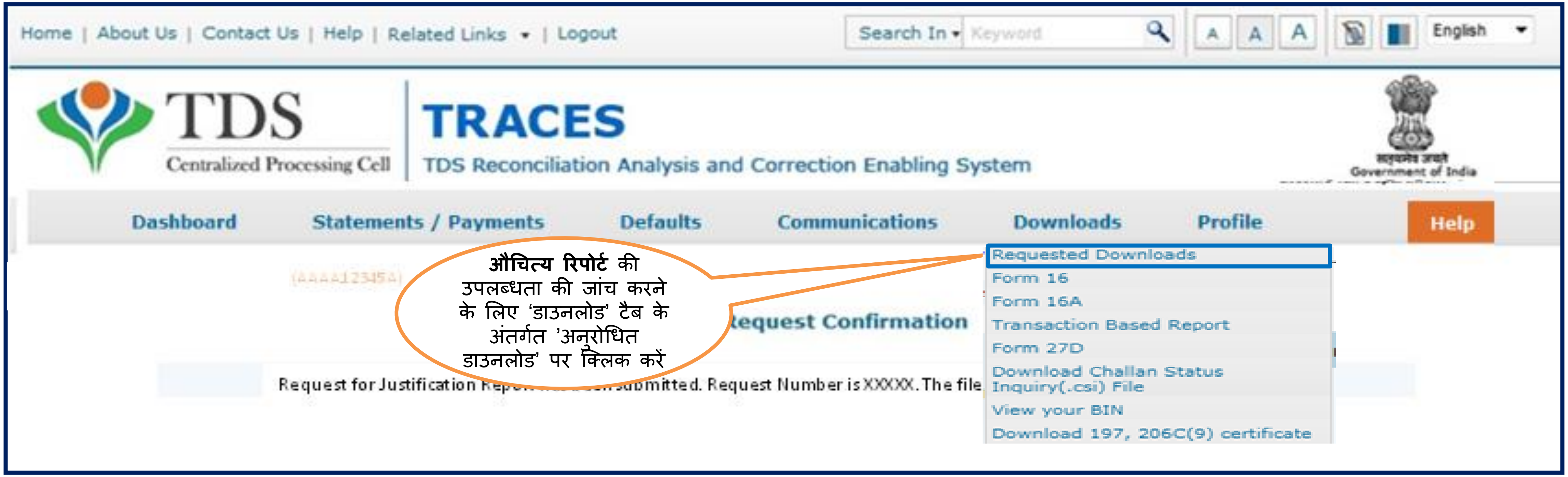

3. औचित्य रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए सचित्र गाइड

चरण 6 (जारी..): कटौतिकर्ता (अ) अनुरोध संख्या (ब) दिनांक या (स) सभी देखें विकल्प का उपयोग करके औचित्य रिपोर्ट की अनुरोधित स्थिति की जाँच कर सकते हैं

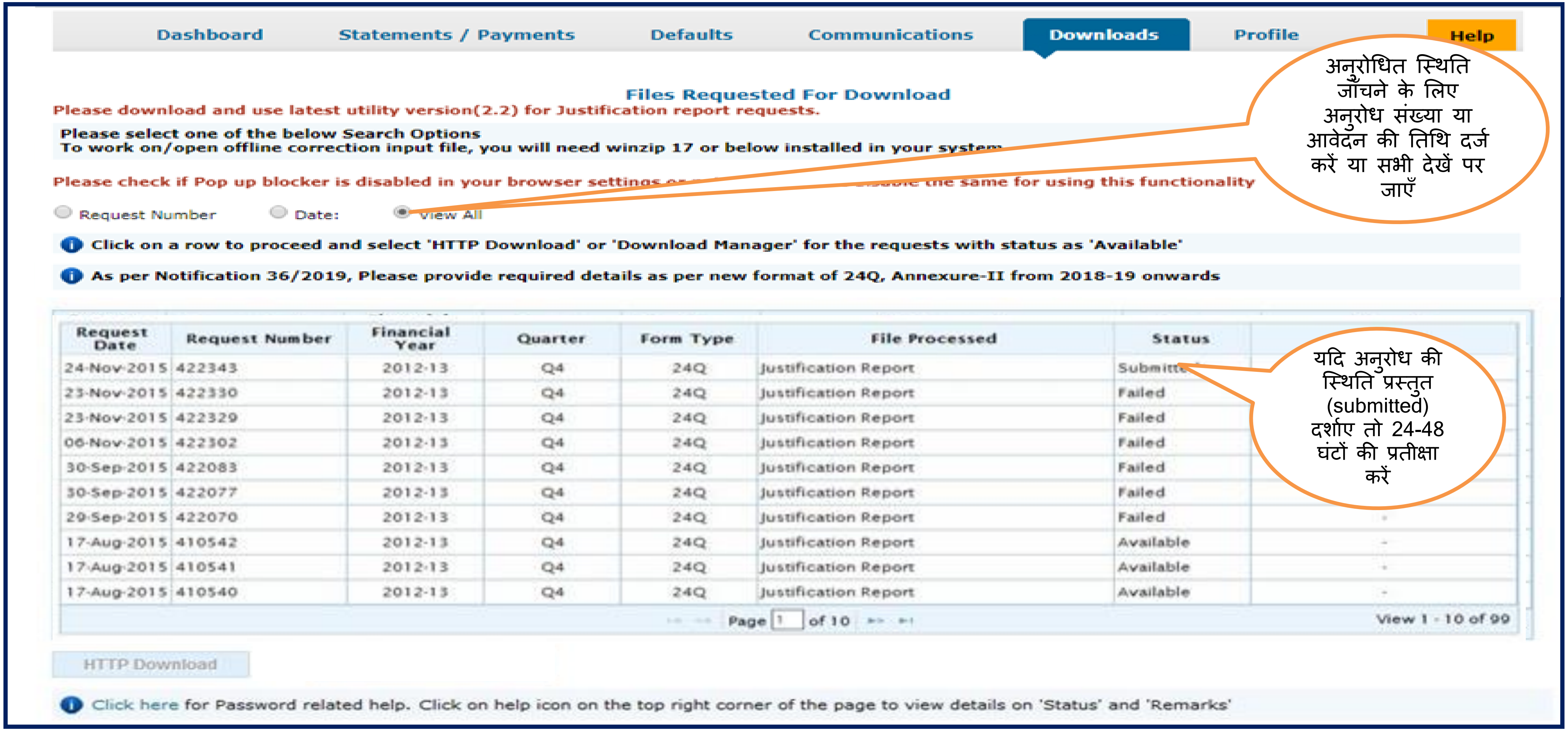

Request Date	Request Number	Financial Year	Quarter	Form Type	File Processed	Status	
24-Nov-2015	422343	2012-13	Q4	24Q	Justification Report	Submitt	
23-Nov-2015	422330	2012-13	Q4	24Q	Justification Report	Failed	
23-Nov-2015	422329	2012-13	Q4	24Q	Justification Report	Failed	
06-Nov-2015	422302	2012-13	Q4	24Q	Justification Report	Failed	
30-Sep-2015	422083	2012-13	Q4	24Q	Justification Report	Failed	
30-Sep-2015	422077	2012-13	Q4	24Q	Justification Report	Failed	
29-Sep-2015	422070	2012-13	Q4	24Q	Justification Report	Failed	-
17-Aug-2015	410542	2012-13	Q4	24Q	Justification Report	Available	-
17-Aug-2015	410541	2012-13	Q4	24Q	Justification Report	Available	-
17-Aug-2015	410540	2012-13	Q4	24Q	Justification Report	Available	-

कॉपीराइट © 2016 आयकर विभाग

3. औचित्य रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए सचित्र गाइड

चरण 7: आवेदन की स्थिति “उपलब्ध” दर्शाये तो कटौतीकर्ता "एचटीटीपी डाउनलोड" से औचित्य रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं

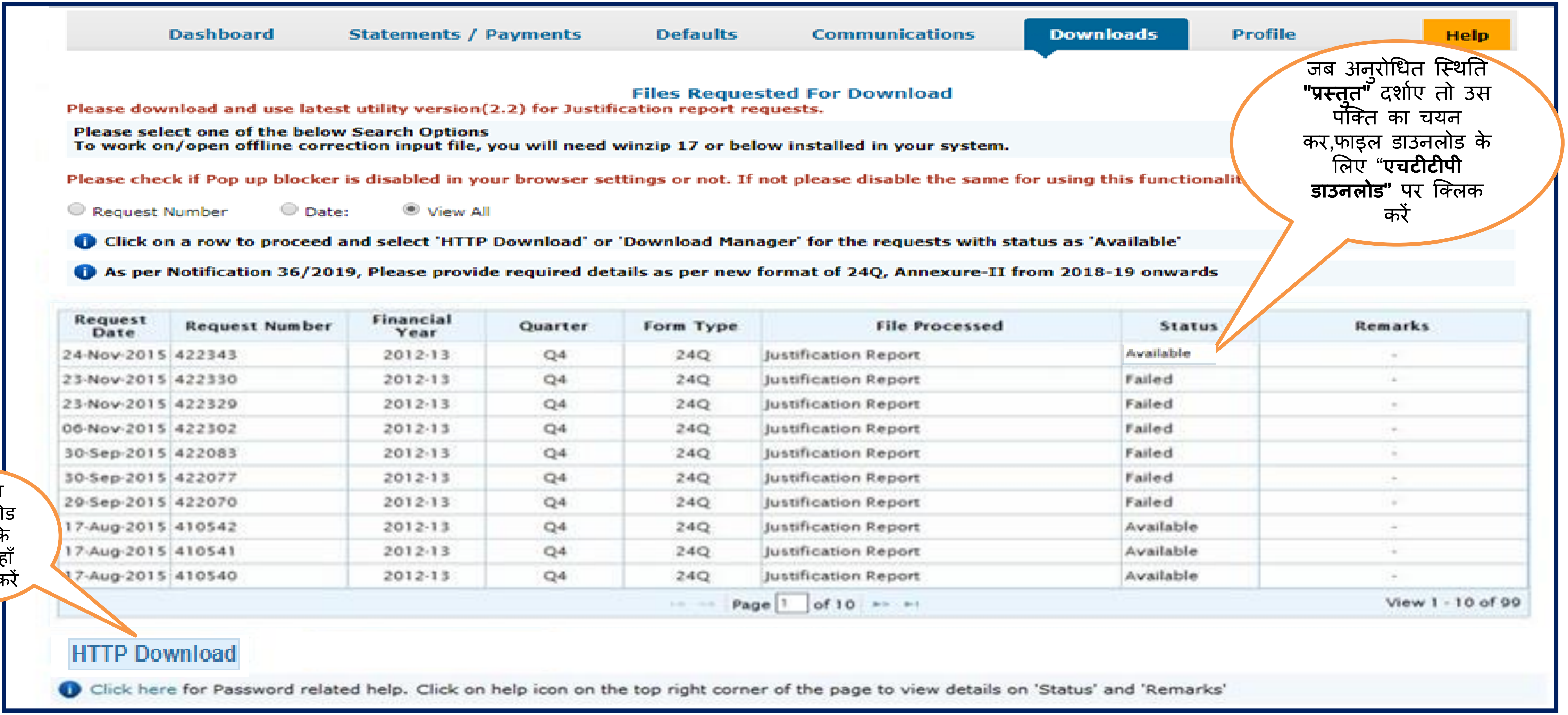

Dashboard | Statements / Payments | Defaults | Communications | Downloads | Profile | Help

Files Requested For Download

Please download and use latest utility version(2.2) for Justification report requests.

Please select one of the below Search Options
To work on/open offline correction input file, you will need winzip 17 or below installed in your system.

Please check if Pop up blocker is disabled in your browser settings or not. If not please disable the same for using this functionalit

Request Number   Date: View All

Click on a row to proceed and select 'HTTP Download' or 'Download Manager' for the requests with status as 'Available'

As per Notification 36/2019, Please provide required details as per new format of 24Q, Annexure-II from 2018-19 onwards

Request Date	Request Number	Financial Year	Quarter	Form Type	File Processed	Status	Remarks
24-Nov-2015	422343	2012-13	Q4	24Q	Justification Report	Available	-
23-Nov-2015	422330	2012-13	Q4	24Q	Justification Report	Failed	-
23-Nov-2015	422329	2012-13	Q4	24Q	Justification Report	Failed	-
06-Nov-2015	422302	2012-13	Q4	24Q	Justification Report	Failed	-
30-Sep-2015	422083	2012-13	Q4	24Q	Justification Report	Failed	-
30-Sep-2015	422077	2012-13	Q4	24Q	Justification Report	Failed	-
29-Sep-2015	422070	2012-13	Q4	24Q	Justification Report	Failed	-
17-Aug-2015	410542	2012-13	Q4	24Q	Justification Report	Available	-
17-Aug-2015	410541	2012-13	Q4	24Q	Justification Report	Available	-
17-Aug-2015	410540	2012-13	Q4	24Q	Justification Report	Available	-

Page 1 of 10   View 1 - 10 of 99

HTTP Download

Click here for Password related help. Click on help icon on the top right corner of the page to view details on 'Status' and 'Remarks'

जब अनुरोधित स्थिति **"प्रस्तुत"** दर्शाए तो उस पंक्ति का चयन कर,फाइल डाउनलोड के लिए **“एचटीटीपी डाउनलोड”** पर क्लिक करें

फाइल डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें

4. औचित्य रिपोर्ट एक्सेल जनरेशन यूटिलिटी डाउनलोड करने के चरण

4. औचित्य रिपोर्ट एक्सेल जनरेशन यूटिलिटी डाउनलोड करने के चरण

चरण 1: "डाउनलोड" के अंतर्गत "अनुरोधित डाउनलोड" विकल्प पर क्लिक करें और फिर यूटिलिटी डाउनलोड करने के लिए हाइपर लिंक "क्लिक हियर" पर क्लिक करें।

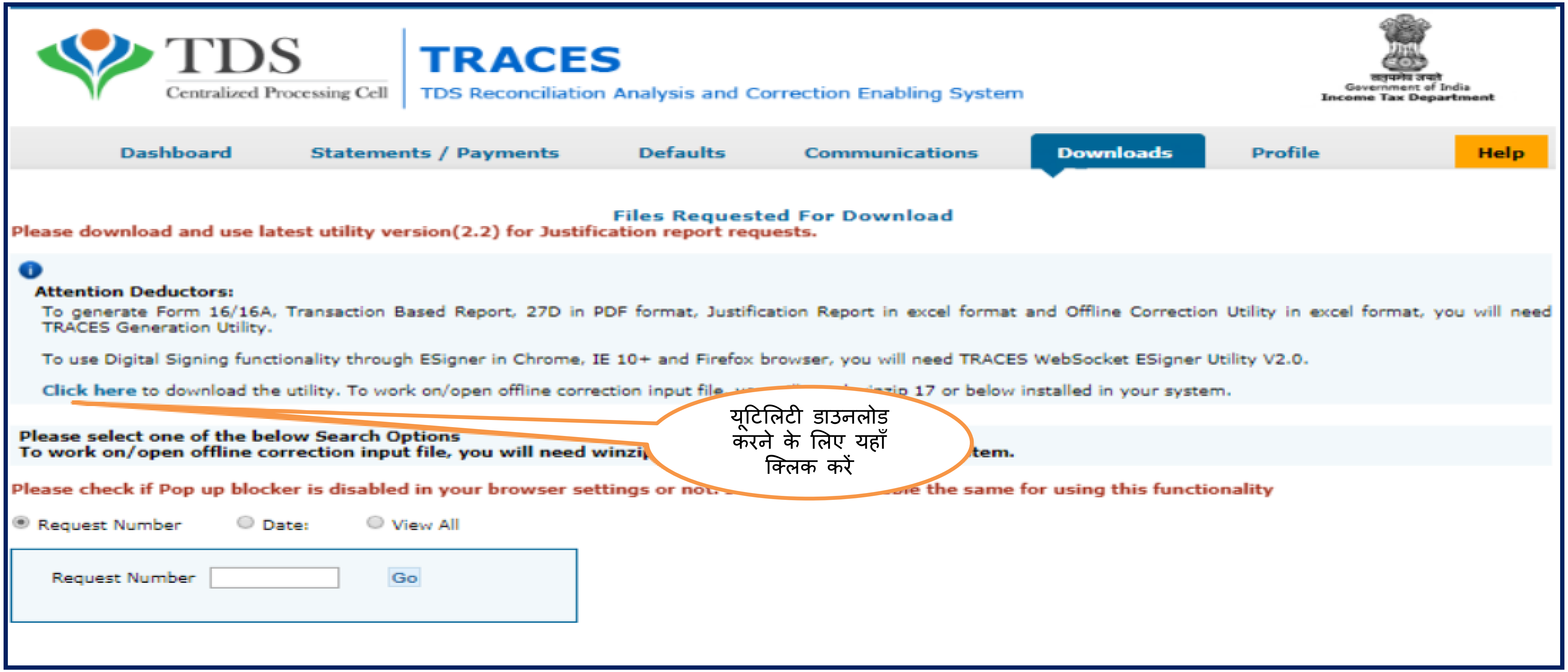

4. औचित्य रिपोर्ट एक्सेल जनरेशन यूटिलिटी डाउनलोड करने के चरण

चरण 2: सत्यापन कोड दर्ज करें फिर "सबमिट" बटन पर क्लिक करें

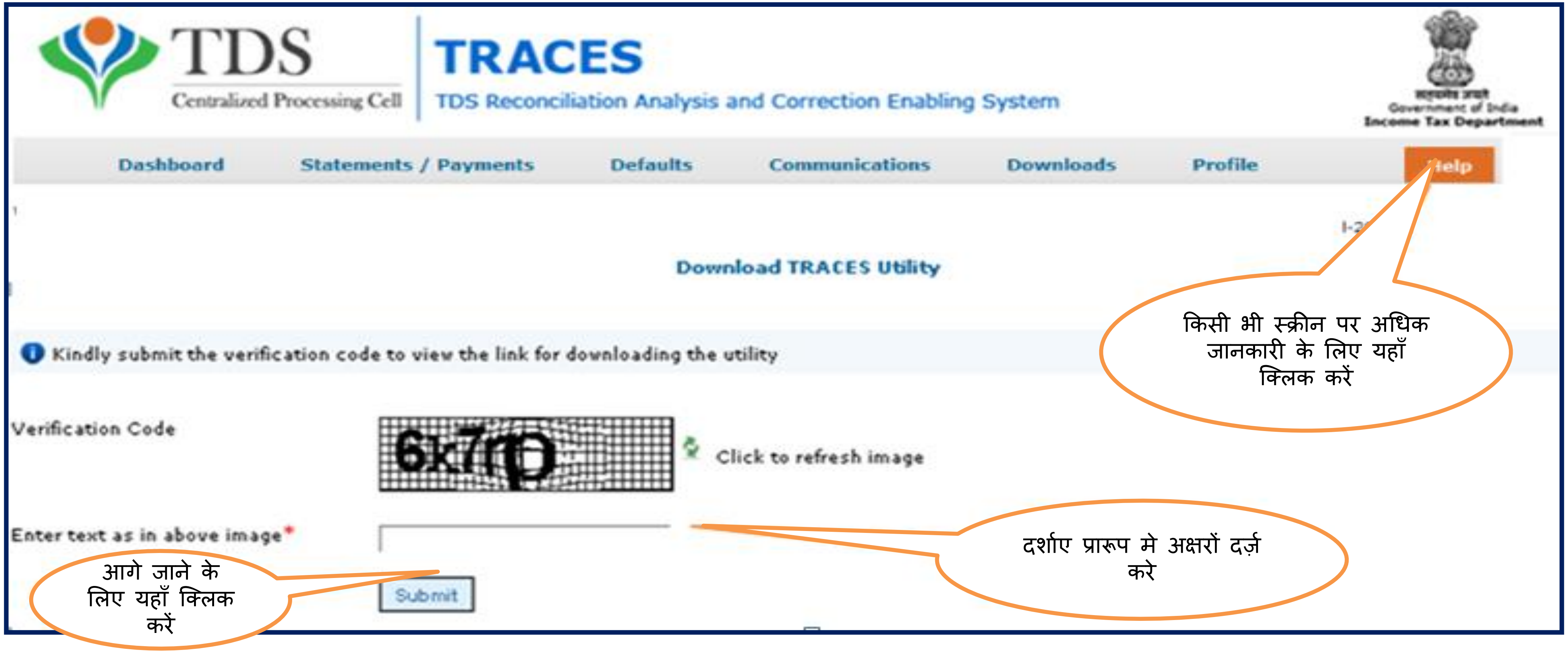

4. औचित्य रिपोर्ट एक्सेल जनरेशन यूटिलिटी डाउनलोड करने के चरण

चरण 3: ट्रेसेज़ औचित्य रिपोर्ट यूटिलिटी

4. औचित्य रिपोर्ट एक्सेल जनरेशन यूटिलिटी डाउनलोड करने के चरण

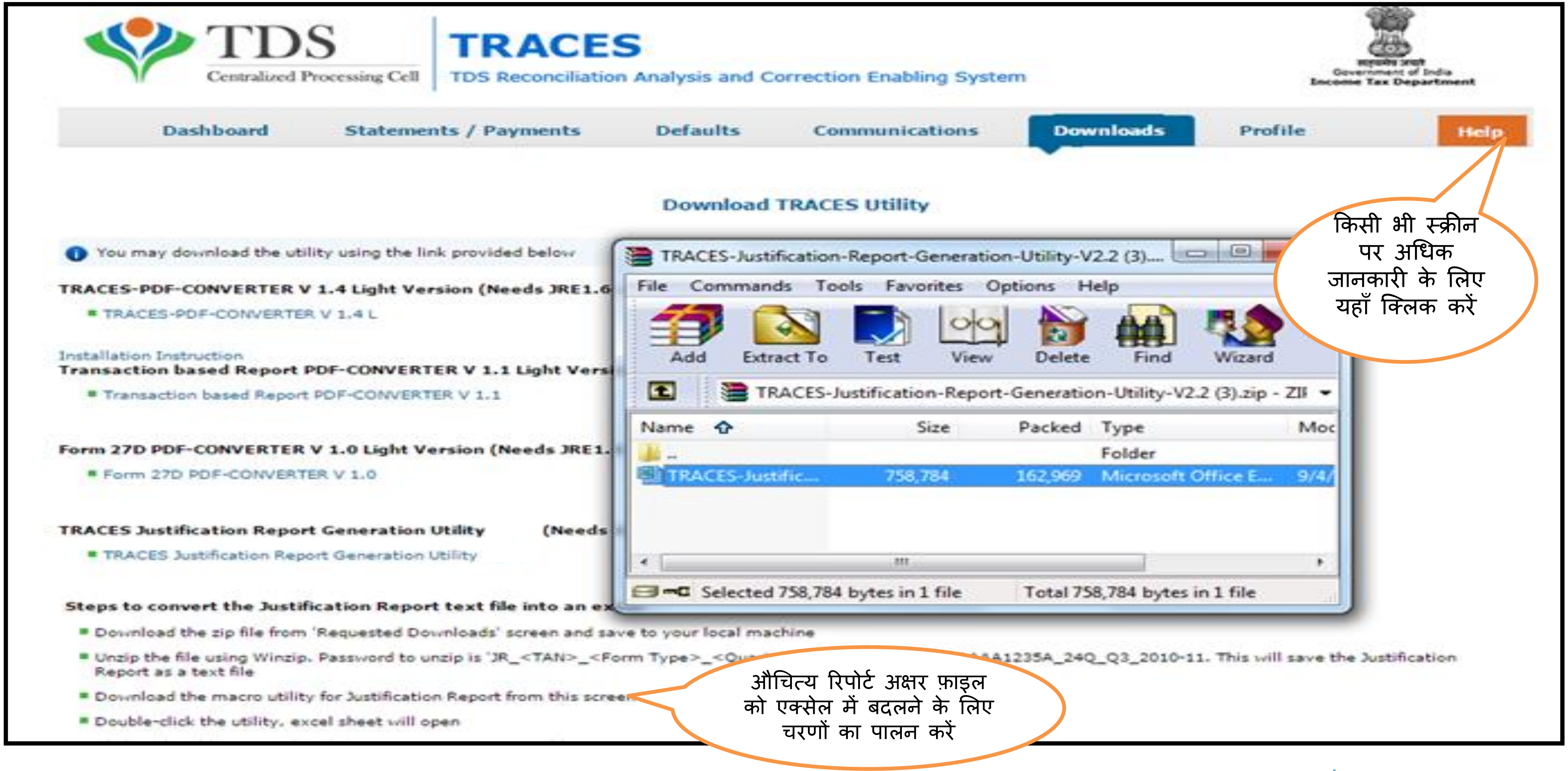

4. औचित्य रिपोर्ट एक्सेल जनरेशन यूटिलिटी डाउनलोड करने के चरण

औचित्य रिपोर्ट को एक्स्सेल में परिवर्तित करने के चरण

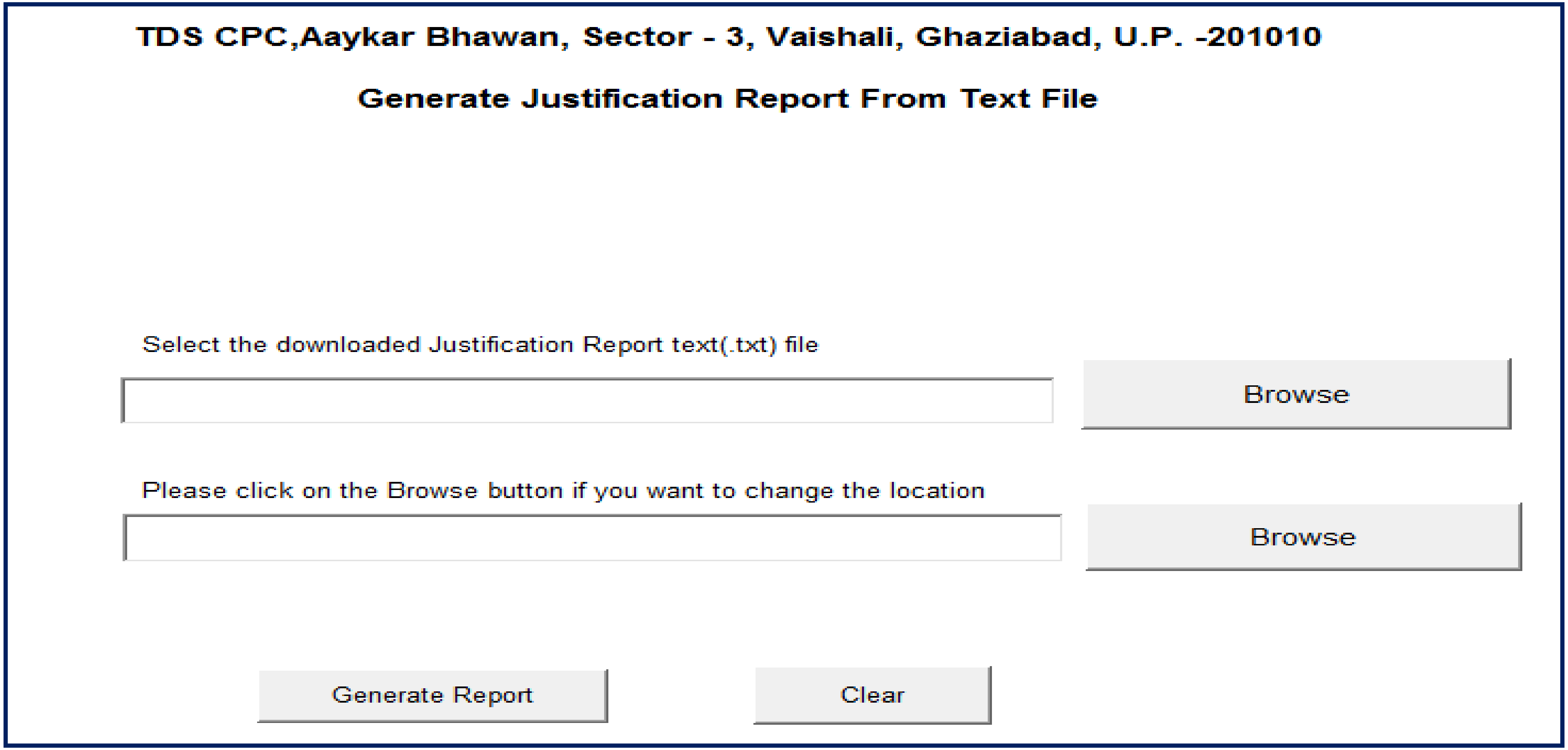

4. औचित्य रिपोर्ट एक्सेल जनरेशन यूटिलिटी डाउनलोड करने के चरण

औचित्य रिपोर्ट को एक्स्सेल में परिवर्तित करने के चरण (जारी...)

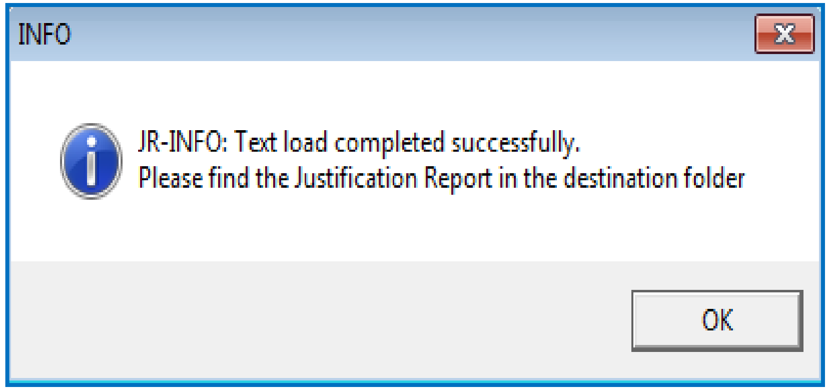

- **औचित्य रिपोर्ट को एक्सेल में परिवर्तित किया जाएगा और इसे चयनित गंतव्य फ़ोल्डर में सहेज़ा जाएगा।**

4. औचित्य रिपोर्ट एक्सेल जनरेशन यूटिलिटी डाउनलोड करने के चरण

औचित्य रिपोर्ट का प्रारूप (नमूना)

TDS CPC,Aaykar Bhawan, Sector - 3, Vaishali, Ghaziabad, U.P. -201010

Table of Content

Sr. No.	Content
1	PAN Error
2	PAN Error(Annex II)
3	Short Paymet (Dep-Dep)
4	Late Payment
5	Short Deduction (PAN Error)
6	Short Deduction(Other Reasons)
7	220(2) Interest

TDS CPC, Aaykar Bhawan, Sector - 3, Vaishali, Ghaziabad, U.P. -201010

Justification Report - Interest under section 220(2)

TAN	TAN Name	Token Number of Last Accepted	Form Type	Quarter	F.Y.
JLDS04984G	SML IS020 LTD	0748XXXXXXX X2152	24Q	Q4	2012-13

Notes:

1. Due date of payment (Column 5) is 30 days from the date on which order is passed (Column 4)
2. Date upto which interest under section 220(2) is computed (Column 7) refers to challan deposited for payment of default.
3. Interest consumed (Column

Fixed 220(2) Interest

Sr. No.	Default Type	Default Amount (Rs.)	Date on which Order is Passed (dd-mmm-yyyy)	Due Date of Payment * (dd-mmm-yyyy)	Interest Consumed (Rs.)	Date upto which Interest 220(2) is Computed * (dd-mmm-yyyy)	Interest Under Section 220(2) *
1	2	3	4	5	6	7	8

Note :-

Columns populated as NA For Demand

220(2) Interest till the date of processing

Sr. No.	Default Type	Default Amount (Rs.)	Date on which Order is Passed (dd-mmm-yyyy)	Due Date of Payment * (dd-mmm-yyyy)	Default Closed	Outstanding Default (Rs.)	220(2) Interest Till the Date of Processing
1	2	3	4	5	6	7	8
1	LP	2910.00	7-Nov-2013	9-Nov-2013	0	2910.00	0

कॉपीराइट © 2016 आयकर विभाग

धन्यवाद

कृपया ध्यान दें :

1) प्रतिक्रिया के लिए : आप हमें अपनी प्रतिक्रिया contactus@tdscpc.gov.in पर साझा कर सकते हैं।

2) किसी भी प्रश्न के लिए : ट्रेसेज़ वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत के रूप में 'रिक्वेस्ट फॉर रेज़ल्यूशन (समाधान के लिए अनुरोध)' पर अपनी राय रख सकते हैं।

3) वेबसाइट से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए : आप नीचे वर्णित नंबर पर अपने तथ्य रख सकते हैं।

टोल फ्री नंबर - 1800103 0344

लैंड लाइन नंबर - 0120 4814600

कॉपीराइट © 2016 आयकर विभाग